निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 30/2023 (धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)
राज्य सरकार जरिये श्री अशोक कुमार योगी, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री हरिश्याम पुत्र श्री तेजाराम निवासी ग्राम पोस्ट चावण्डिया, थाना पाचौड़ी, तहसील खींवसर, जिला नागौर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 02 एचपीसीएल घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 08.400 किलोग्राम, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा मय चार्जिंग केबल, 02 विद्युत मोटर मय रबर पाईप, नोजल, रेग्यूलेटर व वायर को राजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थितः- विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 06.12.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग करने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ, पुलिस थाना प्रताप नगर, जयपुर की सूचना पर पुलिस थाना प्रताप नगर पहुंचे। पुलिस थाना प्रताप नगर द्वारा प्रस्तुत तहरीर के मुताबिक थाना पुलिस को जरिये फोन इत्तला मिली कि 7 नम्बर चौराहे के पास एक खाली चौक में एक व्यक्ति घरेलू गैस सिलेण्डरों से मोटरों की सहायता से वाहनों में गैस भर रहा है। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी हरिश्याम पुत्र श्री तेजाराम के द्वारा इस बाबत न तो कोई वैध दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैध रिफिल/भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त 02 एचपीसीएल घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 08.400 किलोग्राम, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा मय चार्जिंग केबल, 02 विद्युत मोटर मय रबर पाईप, नोजल, रेग्यूलेटर व वायर को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6-ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6-ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 12.06.2023 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी द्वारा जरिये थाना नोटिस प्राप्त किया गया, तथापि अप्रार्थी

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अनुपस्थित है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पुलिस थाना प्रताप नगर की सूचना पर टीम के प्रताप नगर थाने पर पहुंचने पर थाना प्रताप नगर की तहरीर मुताबिक थाना पुलिस को जरिये फोन इत्तला मिली कि 7 नम्बर चौराहे के पास एक खाली चौक में एक व्यक्ति घरेलू गैस सिलेण्डरों से मोटरों की सहायता से वाहनों में गैस भर रहा है। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी हरिश्याम पुत्र श्री तेजाराम के द्वारा इस बाबत न तो कोई वैध दस्तावेज पेश किया गया और न ही अवैध रिफिल/भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनः स्थिति एवं बदनीयति बखूबी सिद्ध होती है। अतः उक्त जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश फरमावे।

4. पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 19.04.2023 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

5. घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को न्यून दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक/व्यवसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है। तत्पश्चात भी अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों से मोटरों की सहायता से वाहनों में गैस भर रहा था। मौके पर प्राप्त 02 एचपीसीएल घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 08.400 किलोग्राम, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा मय चार्जिंग केबल, 02 विद्युत मोटर मय रबर पाईप, नोजल, रेग्यूलेटर व वायर से घरेलू गैस सिलेण्डर्स से वाहनों में गैस के अवैध स्थानान्तरण की पुष्टि होती है, उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा अर्जित करने की आपराधिक मनः स्थिति एवं बदनीयति सिद्व होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। अप्रार्थी द्वारा फर्द में स्वयं बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के अपराध कारित किया जाना स्वीकार किया है। अतः जब्त 02 एचपीसीएल घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 08.400 किलोग्राम, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा मय चार्जिंग केबल, 02 विद्युत मोटर मय रबर पाईप, नोजल, रेग्यूलेटर व वायर को को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जें से जब्त 02 एचपीसीएल घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 08.400 किलोग्राम, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा मय चार्जिंग केबल, 02 विद्युत मोटर मय रबर पाईप, नोजल, रेग्यूलेटर व वायर को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 12.06.2023 को अंतरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है, तदनुसार अंतरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner